न्यायालयः अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी।

उपस्थिति – श्री विवेक कुमार

जी0ओ0 वाद सं0–02/2016,

पंजी0सं0–02/2016

सरकार बनाम मनोज कुमार

दिनांक

10.07.2026

वाद पुकारा गया। अभिलेख प्रस्तुत हुआ। वाद मृत्यु प्रमाण पत्र पर सुनवाई हेतु लंबित है। प्रस्तुत वाद के एकमात्र अभियुक्त मनोज कुमार साह के पुत्र निक्केश कुमार की ओर से दिनांक 10.07.2026 को एक शपथ–पत्र इस आशय का दिया गया कि प्रस्तुत वाद के एकमात्र अभियुक्त मनोज कुमार साह की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 19.05.2026 को हो गया है। सुना।

न्यायालय द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एकमात्र अभियुक्त मनोज कुमार साह का मृत्यु प्रमाण पत्र अभिलेख पर मौजूद है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवेचित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय प्रस्तुत वाद के एकमात्र अभियुक्त मनोज कुमार साह के विरूद्ध वाद की अग्रिम कार्यवाई को स्थगित करते हुए इस वाद का निस्तारण करती है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनु0 न्या0 दंडा0, पुपरी
सीतामढ़ी।